

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3

संख्या- 16/2017/1914/37-3-2017-3(58)/2012

लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 रुद्र प्रताप, तत्कालीन निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग के प्रभार के दौरान डा0 वीर सिंह, तत्कालीन उपनिदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर /प्रायोजना अधिकारी, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा द्वारा प्रक्षेत्र के पशुओं को बदलने तथा अनुपयोगी सामानों को निष्प्रयोज्य घोषित करके नीलामी करने के लिए पशुपालन निदेशालय से निरन्तर पत्राचार किये जाने के बावजूद भी निदेशालय स्तर से न तो पशुओं को बदलने की कोई समुचित कार्यवाही की गयी और न ही निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी कराने की कोई अनुमति प्रदान की गयी। सम्पूर्ण प्रकरण में समयान्तर्गत कार्यवाही की अनुमति प्रदान न करने के आरोप के लिए शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-264/37-3-2017-3(58)/2012, दिनांक 22.03.2017 द्वारा उनके विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा उक्त के संचालनार्थ निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जाँच अधिकारी नामित किया गया।

2- डा0 रुद्र प्रताप द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.04.2017 के माध्यम से अपने विरुद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही पर पुनः विचार हेतु शासन से अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन के पत्र दिनांक 337/37-3-2017, दिनांक 23.05.2017 द्वारा निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग को सर्वप्रथम प्रकरण की तथ्यपरक प्रारम्भिक जाँच करने के आदेश दिये गये।

3- जाँच अधिकारी की तथ्यपरक प्रारम्भिक जाँच आख्या उनके पत्र संख्या-118/एस0टी0, दिनांक 04.08.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुई। जाँच अधिकारी द्वारा अपनी तथ्यपरक प्रारम्भिक जाँच आख्या में डा0 रुद्र प्रताप के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। आरोप के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जाँच अधिकारी की तथ्यपरक प्रारम्भिक जाँच आख्या से इतर मत स्थापित करते हुए शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-1671/37-3-2017-3(58)/2012, दिनांक 03.11..2017 द्वारा श्री सतेन्द्र कुमार सिंह, विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन से सम्पूर्ण प्रकरण में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु पुनः तथ्यपरक प्रारम्भिक जाँच कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये। इसी बीच डा0 रुद्र प्रताप द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अपने पत्र दिनांक 17.10.2017 द्वारा प्रकरण में अपने विरुद्ध संस्थित पूर्व अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4- डा0 रुद्र प्रताप के उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.10.2017 एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त उनके विरुद्ध पूर्व में प्रचलित अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखने एवं प्रारम्भिक जाँच आख्या प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर, स्थगित अनुशासनात्मक/विभागीय जाँच पुनः आरम्भ की जा सकती है, सम्बन्धी निर्णय लिया गया है।

5- अतः एतद्वारा श्री राज्यपाल डा0 रुद्र प्रताप, तत्कालीन निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के विरुद्ध शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-264/37-3-2017-3(58)/2012, दिनांक 22.03.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने के आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 16/2017/1914 (1)/37-3-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री सतेन्द्र कुमार सिंह, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन/जाँच अधिकारी।
- 2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- पशुधन अनुभाग-1,
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।